


कार्यालय आदेश

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु लिये जाने वाले विकास शुल्कों को पुनरीक्षित करते हुए दिनांक 01.04.2020 के पश्चात् प्राप्त/रि-प्रोसेस मानचित्रों पर निम्न शुल्क लागू किये जायेंगे।

पर्यवेक्षण शुल्क (भवन)	रु० 24.00 प्रति वर्ग मी०
पर्यवेक्षण शुल्क (ले-आउट)	रु० 12.00 प्रति वर्ग मी०
अम्बार शुल्क	रु० 60.00 प्रति वर्ग मी०
संगणित विकास शुल्क (सुदृढीकरण शुल्क)	रु० 121.00 प्रति वर्ग मी० (वाहय विकास शुल्क का 10%)
वाहय विकास शुल्क	रु० 1210.00 प्रति वर्ग मी०




सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।

पत्रांक सं०- 429 / मु०वि०प्रा० / नि०अ० / 2020-21

दिनांक:- 29 / 05 / 2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
2. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त अवर अभियन्ता, मु०वि०प्रा० मुरादाबाद।
3. नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक, मु०वि०प्रा०, मुरादाबाद।
4. कम्प्यूटर प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल हेतु।



सचिव,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद।